हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/1/2025 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उ०प्र० [illegible] गई। [illegible] दिनांक 5/1/25 को पेश हो	रामपुर
5/1/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उ०प्र० [illegible] स्वामी [illegible] को [illegible] किया जाता है। निर्णय [illegible] किया गया। [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल [illegible] हो। 5/1/25	

अतः

प्रतिवादी

(दोबारा)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान– प्रभुदयाल वगै0 बनाम नाथूसिंह वगै0

दावा बाबत– दावा स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण सं.– 66 / 2025

अतः आदेश है कि वादी वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर भूमी खतौनी सं. नयी 94 पुरानी 92 के खसरा नं. 15, 16, 17, 31, 32, 33, 406 लगा0 413, 417, 65 कुल किता 16 कुल रकबा 3.98 है0 में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने से, कोई व्यवधान उत्पन्न करने से एवं किसी प्रकार के पुख्ता निर्माण करने से प्रतिबंधित रहे। उक्त स्थायी निषेधाज्ञा आदेश भूमि अर्जन पर लागू नहीं होगा। मेरे द्वारा आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

5/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.....
ओहदा.....

5/12/25

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बाँदीकुई

कदमा नम्बर 66/2025
दर्ज दिनांक 08.04.2025
निर्णय दिनांक 05.12.2025

उनवान

1. प्रभुदयाल पुत्र रामकिशन
2. बाबूलाल पुत्र रामकिशन
3. रामफूल पुत्र रामकिशन
4. सोना पत्नी रामकिशन

समस्त जाति गुर्जर निवासी हरिपुरा तहसील बांदीकुई।

.....वादी

बनाम

1. नाथूसिंह पुत्र बिरदीचंद
2. रतनलाल पुत्र धोकलराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी हरिपुरा तहसील बांदीकुई।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई।

.....प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा का जरिये वकील विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में पेश किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—यह है कि ग्राम हरिपुरा पवटवार हल्का भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खाता सं. नया 94 पुराना 92 के आराजी खसरा नं. 15 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं. 16 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नं. 17 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 31 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 32 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 33 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 406 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 407 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 408 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 409 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 410 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नं. 411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 412 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 413 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 417 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 65 रकबा 0.63 हैक्टेयर, कुल किता 16 कुल रकबा 3.98 हैक्टेयर स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 का भूमि वादग्रस्त से कोई लेना देना नही हैं प्रतिवादीगण सं. 01 व 02, वादीगण के पडौसी खातेदार है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त वादीगण की खातेदारी की तन्हा कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो जबरन वादीगण की आराजियात में जबरन कब्जा करना चाहते है और आये दिन दखलान्दाजी करते रहते है। वादीगण उक्त भूमि वादग्रस्त के खातेदार, काश्तकार है। भूमि उक्त से प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त भूमि में वर्णित भूमि में वादीगण द्वारा चारो ओर खाम डौल बना कर काश्त कर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 तथा उनके परिवारजन दिनांक 25.03.2025 को वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि वादग्रस्त पर बनी डौल को तोडने लगे और वादीगण के साथ गाली गलोच करने लग गये और वादीगण के खेत में जबरन घुसकर कब्जा करने पर आमादा होने लगे व उपयोग उपभोग में व्यवधान डालने लगें। प्रतिवादीगण उक्त भूमि वादग्रस्त पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। प्रतिवादीगण बाहुबली होने से व पहुँच वाले व्यक्ति होने से प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा झगडा फिसाद कर गाली गलोच करने लगे वादीगण ने बडी मुश्किल से समझाईस कर प्रवितादीगण को मौके से भेजा। प्रतिवादीगण जबरन वादीमण को अपने कब्जे व स्वामित्व की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने ऐलानिया चेतावनी देते हुए धमकी दी है कि हम जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करके रहेगे। तुम अगर इसमें फसल बोओंगे तो उसे अपने पशुओं को खुला छोडकर नष्ट करवा देगे और तुम्हे जबरन

Scanned with OKEN Scanner

क्त के बल पर बेदखल करके अपना कब्जा करके रहेगे अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद में
मयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो
कगी तथा पक्षकारान में अनैको प्रकार के मुकदमे हो जावेगे जिससे बर्बादी वादीगण होगें। जबकि
प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी की भूमियों में जबरन कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नही है।
प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये और वादीगण को अपने कब्जे काश्त व
खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी
कदर सम्भव नही हो सकेगी। वादीगण को अनेकों किस्म के मुकदमो में उलझना पडेगा जिससे वादीगण के
धन व समय की बर्बादी होगी। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर से पावन्द किया जाना
इन्साफन व कानूनन न्यायोचित है कि वे स्वयं अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से
वादीगण की खातेदार की भूमि वर्णित पर जबरन कब्जा करने का प्रयास न करे, किसी भी प्रकार का कोई
पुख्ता निर्माण नही करे वादीगण की फसल को नुकसान न पहुँचाये। वादीगण को फसल एवं प्रकृतिक उपज
प्राप्त करने में रूकावट पैदा ना करे, उपरोक्त आराजियात को वादीगण के हक अधिकार एंव कब्जे काश्त की
भूमि में वादीगण को फसल बोते व काटते समय कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण करवाई गयी। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 03 की जर्ये रजिस्टर्ड टीआई नोटिस तलबी होने के बाद भी उपस्थित नहीं। एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी की ओर रामफूल पुत्र किशन का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रकरण बहस पर नियत किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वाद को स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा आदेश से प्रतिबंधित करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश ग्राम हरिपुरा सम्वत 2074–2077 की जमाबंदी खाता सं. नया 94 पुराना 92 में वादीगण प्रभुदयाल पुत्र रामकिशन, बाबूलाल पुत्र रामकिशन, रामफूल पुत्र रामकिशन व सोना पत्नि रामकिशन का क्रमशः 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की सहखातेदारी भूमि होना प्रतीत होती है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अनुसार खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में बाहरी शख्स को दखल देने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा सकते है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर भूमी खतौनी सं. नयी 94 पुरानी 92 के खसरा नं. 15, 16, 17, 31, 32, 33, 406 लगा0 413, 417, 65 कुल किता 16 कुल रकबा 3.98 है0 में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने से, कोई व्यवधान उत्पन्न करने से एवं किसी प्रकार के पुख्ता निर्माण करने से प्रतिबंधित रहे। उक्त स्थायी निषेधाज्ञा आदेश भूमि अर्जन पर लागू नहीं होगा। मेरे द्वारा आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner